

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर घड़साना
पीठासीन अधिकारी :- अभिलाषा आर.ए.एस. कैम्प कोर्ट : ग्राम पंचायत.....13 DOL-A

-: आदेश :-

दिनांक : 20-10-2021

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का 7 DOL एवं भू-अभिलेख निरीक्षक S.P.S.D.-B की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रापला / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 7 DOL-A तहसील रापला जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत् 2025-2028 में खाता सं. 60 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	2	3	4	5
1-	7 DOL-A	60	सन्तकुमार पुत्र रामजस जाति बिश्नोई स. 83 LNP तहसील पदमपुर हल 7 DOL-A खातेदार रहन- SBBJ शाखा रापला मण्डी	सन्तकुमार पुत्र रामजस जाति बिश्नोई स. 83 LNP तहसील पदमपुर हल 7 DOL-A खातेदार रहन- SBI शाखा रापला मण्डी

(अभिलाषा)

उपखण्ड अधिकारी

घड़साना

दिनांक : 20-10-2021

क्रमांक / रीडर / प्र.गां.सं.अ. / 2021 / 8889
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार घड़साना / रावला को भेजकर लेख हैं कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी श्री सन्तकुमार पुत्र रामजस बिश्नोई 7 DOL-A को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

कैम्प - 13 DOL-A